राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2795/2020

1. भारतीय संघ, महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर के माध्यम से।
2. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, उत्तर पश्चिम रेलवे, मुख्यालय कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर।
3. डिप्टी सी.एम.ई. (गाड़ी), अजमेर कार्यशाला, अजमेर।
4. मुख्य कार्यशाला प्रबंधक (कैरिज एवं वैगन), अजमेर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. अनिल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री जय प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 4, न्यू केसरी कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर।

   वर्तमान में कैरिज वर्कशॉप अजमेर में जे.ई. के पद पर तैनात हैं।

प्रत्यर्थी

2. कृष्ण स्वरूप शर्मा (जे.ई.) सी/ओ मुख्य कार्यशाला प्रबंधक (कैरिज एंड वैगन), अजमेर वर्कशॉप, एन.डब्ल्यू.आर. अजमेर।

----प्रोफार्मा-प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री पी.सी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अमित माथुर, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति फरजंद अली

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>आदेश उच्चारित करने की तारीख 5.03.2022</u>

(माननीय मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जयपुर बेंच, जयपुर (इसके बाद "न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 के विरूद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1, आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए दायर मूल आवेदन की अनुमति दी है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आधिकारिक प्रत्यर्थीगण ने कुछ प्रश्नों के संबंध में उत्तर कुंजी को फिर से तैयार किया और उसके बाद प्रत्यर्थी-अनिल शर्मा और कृष्ण स्वरूप शर्मा सहित उम्मीदवारों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप अनिल शर्मा को बाहर कर दिया गया। चयन सूची के पैनल से कृष्ण स्वरूप शर्मा को शामिल किया गया।

2. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जो न्यायाधिकरण के समक्ष अनिल शर्मा द्वारा ओ.ए. दायर करने से संबंधित है। अनिल शर्मा को 29.10.2010 को आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में जूनियर इंजीनियर (ई) के पद के लिए चुना गया था। जैसे ही उन्हें चयनित घोषित किया गया, उन्होंने दिनांक 31.01.2012 के आदेश के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

हालाँकि, कृष्ण स्वरूप शर्मा की शिकायत के आधार पर यह खुलासा करते हुए कि कुछ उत्तर कुंजियाँ गलत और/या अशुद्ध हैं, उन्हें 28.01.2013 को एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था। पहले चयन समिति के सदस्यों में शामिल अधिकारियों के अलावा दो जेएजी स्तर के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने उत्तर कुंजी को दोबारा तैयार किया और दोबारा तैयार की गई उत्तर कुंजी के आधार पर उम्मीदवारों का दोबारा मूल्यांकन किया गया। कारण बताओ नोटिस को अनिल शर्मा (ओ.ए. आवेदक) द्वारा चुनौती दी गई थी, लेकिन याचिका को कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध अभ्यावेदन दायर करने की छूट के साथ आधिकारिक प्रत्यर्थी को तर्क और मौखिक आदेश द्वारा निर्णय लेने के निर्देश के साथ निपटा दिया गया था। इसके बाद, एक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई लेकिन अंततः, समीक्षा समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए, जिसने कुछ उत्तर कुंजी को फिर से तैयार किया था, पुनर्मूल्यांकन

किया गया जिसके परिणामस्वरूप अनिल शर्मा को चयन सूची से बाहर कर दिया गया। इसे न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी।

3. चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर आधारित थी कि अधिकारियों द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन न केवल परीक्षा की योजना के तहत पुनर्मूल्यांकन के किसी प्रावधान के बिना था, बल्कि अन्यथा गलत, मनमाना और अनुचित था। आधिकारिक प्रत्यर्थीगण और निजी प्रत्यर्थी-कृष्ण स्वरूप शर्मा के अनुसार, जब शिकायत की गई, तो समीक्षा समिति ने पाया कि कई मुख्य उत्तर या तो गलत थे या अन्यथा अशुद्ध थे। यह प्रक्रिया चयन की प्रक्रिया में पाई गई अनियमितता को दूर करने के लिए की गई थी और यह उत्तर कुंजी के एक ही सेट पर उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन का मामला नहीं था। कुछ हद तक और सार में, आधिकारिक प्रत्यर्थीगण का मामला यह था कि यह अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम सुधार का एक पद्यति थी क्योंकि विशेषज्ञों की समिति ने पाया कि कई कुंजी उत्तर या तो गलत थे या गलत तरीके से भ्रम पैदा कर रहे थे।

4. हालाँकि, विद्वान न्यायाधिकरण का विचार था कि आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा पुनर्मूल्यांकन जो परीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम/योजना में शामिल किसी भी प्रावधान के अभाव में स्वीकार्य नहीं थी। ओ.ए. आवेदक-अनिल शर्मा और अन्य उम्मीदवार कृष्ण स्वरूप शर्मा पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधिकरण का यह भी विचार था कि मुख्य उत्तरों की समीक्षा की आड़ में, कुछ और विकल्प जोड़कर कई प्रमुख उत्तरों को फिर से तैयार किया गया था जो पूरी तरह से अनुचित था और अन्यथा कानून में स्वीकार्य नहीं था। ऐसे निष्कर्षों पर, न्यायाधिकरण ने अनिल शर्मा के मूल आवेदन को अनुमति देते हुए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के आदेशों को अपास्त कर दिया।

5. न्यायाधिकरण के आदेश की यथार्थता और वैधता पर प्रश्न उठाते हुए, एल.डी. रेलवे की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने यह मानकर खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है कि अधिकारियों ने मूल आवेदक और अन्य उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन किया है। उनके अनुसार, यह पाठ्यक्रम सुधार की प्रकृति की एक पद्यति थी, जब शिकायतें प्राप्त हुईं कि मुख्य उत्तर स्वयं सही नहीं थे और गलत थे। इसकी जांच विशेषज्ञों की एक समिति गठित करवाकर की गई जिसने मुख्य उत्तरों की यथार्थता की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुख्य उत्तर या तो

गलत थे या त्रुटिपूर्ण थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, मुख्य उत्तरों को फिर से तैयार किया गया और फिर मूल आवेदक सहित उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और एक संशोधित परिणाम तैयार किया गया।

निजी प्रत्यर्थी-कृष्ण स्वरूप शर्मा ने भी आधिकारिक प्रत्यर्थीगण के तर्कों का समर्थन किया है।

6. जो तथ्य विवाद में नहीं हैं, वे यह हैं कि परीक्षा आयोजित होने के बाद, परिणाम घोषित किए गए, निजी प्रत्यर्थी-कृष्ण स्वरूप शर्मा ने अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन/शिकायत दायर की कि कुछ प्रश्नों के मुख्य उत्तर गलत थे और कुछ मामलों में प्रश्न स्वयं अस्पष्ट और ग़लत था। रेलवे अधिकारियों ने दो जेएजी स्तर के अधिकारियों की एक समिति गठित की। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि विशेषज्ञों की समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मुख्य उत्तर या तो गलत थे या अशुद्ध थे। इसके कारण पुन: तैयार की गई उत्तर कुंजी के संदर्भ में उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा।

7. यह सुस्थापित विधिक प्रस्ताव है कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन कानून में स्वीकार्य नहीं है, जैसाकि कई निर्णयों में होता है।

8. इस संबंध में स्थापित विधिक स्थिति को उच्चतम न्यायालय ने ***<u>हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर और अन्य, 2010 (6) एससीसी 759</u>*** के मामले में दोहराया था और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: -

> "24. उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का मामला अब अंतिम प्रश्न नहीं रह गया है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुर्मरशेठ मामले में विस्तार से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस तर्क को अपास्त कर दिया था कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, इस आशय का निर्देश जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि नियमों/विनियमों में पुन: जांच/सत्यापन/ पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान न करने वाले नीतिगत निर्णय को भी तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि यह दिखाने के लिए आधार न हो कि नीति स्वयं कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 39-40 और 42, पैरा 14 और 16)
>
> "14...यह विशेष रूप से विधायिका और उसके प्रतिनिधि के क्षेत्राधिकार में है कि वह नीति के रूप में यह निर्धारित करे कि क़ानून

के प्रावधानों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है और क्या उपाय, वास्तविक और साथ ही प्रक्रियात्मक, को शामिल करना होगा। अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्रभावी उपलब्धि के लिए नियमों या विनियमों में...

16...न्यायालय विधायिका और अधीनस्थ विनियमन-निर्माता निकाय द्वारा विकसित नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं दे सकता। यह एक बुद्धिमान नीति हो सकती है जो अधिनियमन के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावित करेगी या इसमें प्रभावशीलता की कमी हो सकती है और अतः इसमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन किसी नियम या विनियम में शामिल नीति में कोई भी खामी इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कर देगी और न्यायालय इसे इस आधार पर अपास्त नहीं कर सकता है कि, उसकी राय में, यह एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि एक मूर्खतापूर्ण भी है। यह वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में काम नहीं आएगा।

25. इस दृष्टिकोण को प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित और इस पर भरोसा किया गया है और दोहराया गया है: (एससीसी पीपी.717-18, पैरा 7)

"7....आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए पूछने का पात्र हो। इसमें केवल संवीक्षा का प्रावधान है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को यह जांचने के लिए देखा जाता है कि क्या उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के अंकों के योग और उन्हें सही ढंग से उत्तर पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर नोट करने में कोई गलती हुई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई। प्रासंगिक नियमों में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी प्रावधान के अभाव में, किसी भी परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

(बल दिया गया)

मुनीब उल रहमान हारून (डॉ.) बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम डी. सुवंकर, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परिषद शिक्षा बनाम अयान दास और साहिति बनाम डॉ. एन.टी.आर. स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण दोहराया गया है।

26. इस प्रकार, इस विषय पर कानून इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क़ानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी प्रावधान के अभाव में, न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।"

9. **<u>रण विजय सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2018 (2)</u>**

एससीसी 357 और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मामलों में रजिस्ट्रार जनरल बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी और अन्य, 2019(16) एससीसी 663 के माध्यम से उपरोक्त विधिक स्थिति की पुष्टि की गई है।

10. हालाँकि, ऐसी स्थिति जहां मुख्य उत्तर ही गलत पाए जाते हैं, आवश्यक सुधार की आवश्यकता होती है, उस पर भी उच्चतम न्यायालय ने विचार किया है।

कुलपति एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य, ए.आई.आर. 1983 एससी 1230 के माध्यम से कानपुर विश्वविद्यालय के मामले में, कुछ प्रश्नों के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ कि उन प्रश्नों के मुख्य उत्तर सही नहीं थे। तथ्यों के आधार पर, प्रामाणिक पाठों की जांच करने पर, यह माना गया कि मुख्य उत्तर स्वयं सही नहीं थे। उच्च न्यायालय ने विशेष प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी किया। ऐसे निर्देश की पुष्टि की गई यह माना गया कि यदि कोई संदेह का मामला है, तो पहले से दिए गए मुख्य उत्तरों का पालन करना होगा, लेकिन यदि मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को कुंजी के अनुरूप उत्तर न देने के लिए पैनल में शामिल करना अनुचित होगा। जो उत्तर गलत सिद्ध हुआ है। यह महत्वपूर्ण रूप से देखा गया:-

> "15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। आम तौर पर, कोई भी इस विचार के प्रति इच्छुक होगा, खासकर यदि कोई पेपर सेटर और परीक्षक रहा हो, कि प्रस्तुत किया गया मुख्य उत्तर विश्वविद्यालय द्वारा सही माना जाए, तो उसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे प्राप्त करने का एक तरीका मुख्य उत्तर को बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं करना है। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता तो इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इन मामलों को देखने का यह सही तरीका नहीं है, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक सैकड़ों छात्रों का भविष्य शामिल है। यदि इस मामले में मुख्य उत्तर गुप्त रखा जाता, तो संव्यवहार बदतर होता, क्योंकि बहुत से छात्रों को चुपचाप अन्याय सहना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन से एक नाखुश स्थिति का पता चला है जिसका विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को समाधान खोजना होगा। मुख्य उत्तर प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें उनके द्वारा संचालित परीक्षाओं की प्रणाली पर करीब से नज़र डालने का अवसर दिया है जो विफल हुआ है वह कंप्यूटर नहीं बल्कि मानव प्रणाली है।
>
> 16. विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत हुए श्री कक्कड़ ने तर्क दिया कि किसी मुख्य उत्तर की यथार्थता को तब तक चुनौती नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि प्रथम दृष्टया वह गलत न हो। हम सहमत हैं कि

कुंजी-उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत सिद्ध न हो जाए और तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि यह गलत है, अर्थात्, यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत कोई भी उचित व्यक्ति इसे सही न माने। इस मामले में विश्वविद्यालय का तर्क बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों द्वारा गलत सिद्ध होता है, जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश में छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं। जो पाठ्य-पुस्तकें निकल जाती हैं, उनमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि विद्यार्थियों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर ग़लत है।

17. "जिन छात्रों ने इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं और छात्रों को विषयों का ज्ञान उन पाठ्य-पुस्तकों में निहित ज्ञान से प्राप्त होता है। वे पाठ्य-पुस्तकें छात्रों के मामले का पूर्ण समर्थन करती हैं। यदि यह संदेह का मामला होता, तो हम निस्संदेह मुख्य उत्तर को प्राथमिकता देते। लेकिन अगर मामला संदेह के दायरे से परे है, तो छात्रों को ऐसा उत्तर न देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो मुख्य उत्तर के अनुरूप हो, अर्थात ऐसे उत्तर के साथ जो गलत सिद्ध हो।

11. ***मनीष उज्जवल और अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और अन्य, 2005 (13) एससीसी 744*** के एक अन्य मामले में, इसी तरह की चुनौती उठाई गई थी जहां छात्र समुदाय ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में रैंकिंग को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस शिकायत के साथ कि विभिन्न प्रमुख उत्तरों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया था, वे स्वयं गलत थे और परिणामस्वरूप गलत और त्रुटिपूर्ण रैंकिंग तैयार की गई थी।

12. विशेषज्ञों की राय मांगी गई। विशेषज्ञों की राय इस बात पर एकमत थी कि विवादित प्रश्नों के प्रमुख उत्तर ग़लत थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा 8 में निम्नानुसार कहा:-

"8. XXXXXXXXXXX यह संभव है कि छह प्रश्नों के सही कुंजी उत्तर फीड करके किए गए नए मूल्यांकन का उन लोगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिन्होंने इन प्रश्नों के संबंध में गलत कुंजी फीड करके घोषित परिणाम और दी गई रैंकिंग के आधार पर पहले ही प्रवेश सुरक्षित कर लिया है। यद्यपि हमारा विचार है कि विशेष रूप से अपीलार्थीगण और सामान्य रूप से छात्र समुदाय को, चाहे किसी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो या नहीं, स्पष्ट रूप से गलत मुख्य उत्तरों के कारण

> पीड़ित नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही, यदि प्रवेश पहले ही दिए जा चुके हैं प्रथम काउंसलिंग के परिणाम में गड़बड़ी होने पर, यह संभव है कि पाठ्यक्रम शुरू होने में देरी हो सकती है और पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30-09-2005 से आगे बढ़ सकती है, जो समय-सारणी के अनुसार कट-ऑफ तारीख है। विनियमों में और इस न्यायालय द्वारा मृदुल धर (माइनर) बनाम भारत संघ में निर्धारित कानून के अनुसार इस दृष्टि से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि सही कुंजी उत्तरों को फीड करके प्रश्नपत्रों के नए मूल्यांकन से उन छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने पहले ही घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई रैंकिंग के आधार पर पहली काउंसलिंग के परिणामस्वरूप प्रवेश सुरक्षित कर लिया है।

यह ध्यान में रखते हुए कि छात्रों के प्रवेश से संबंधित मामला और कई प्रवेश पहले ही दिए जा चुके थे, उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सही उत्तरों को फीड करके प्रश्नपत्रों के नए मूल्यांकन से उन छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन्होंने पहले से घोषित परिणामों के संदर्भ में दी गई रैंकिंग के आधार पर पहली काउंसलिंग में प्रवेश सुरक्षित कर लिया है। हालाँकि, विवादित मुख्य उत्तरों की विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जाँच की कवायद को बरकरार रखा गया था।

13. ***कुलपति के माध्यम से कानपुर विश्वविद्यालय और अन्य (सुप्रा.)*** के मामले में निर्णय पर भी भरोसा किया गया था, सिद्धांत को उपरोक्त के रूप में बहाल किया गया था और **मनीष उज्जवल और अन्य (सुप्रा.)** के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कार्रवाई के अनुमेय पाठ्यक्रम को इस प्रकार दोहराया गया :-

> "9. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता में इसी तरह की समस्या पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि मुख्य उत्तरों के सही होने के बारे में एक धारणा है और संदेह की स्थिति में, न्यायालय निस्संदेह मुख्य उत्तर को प्राथमिकता देगी। यही कारण है कि हमने उन प्रमुख उत्तरों का उल्लेख नहीं किया है जिनके संबंध में विशेषज्ञों के बीच मतभेद के परिणामस्वरूप संदेह है। जिन मुख्य उत्तरों के संबंध में मामला संदेह के दायरे से परे है, उनके संबंध में इस न्यायालय ने माना है कि मुख्य उत्तर के अनुरूप उत्तर न देने के लिए छात्रों को दंडित करना अनुचित होगा, अर्थात ऐसा उत्तर जो गलत सिद्ध किया जाता है। उपरोक्त छह प्रमुख उत्तर स्पष्ट रूप से गलत होने के बारे में कोई विवाद नहीं है और इस तथ्य पर विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्न नहीं उठाया गया है। इस दृष्टि से, छात्रों को विश्वविद्यालय की गलती और लापरवाही के लिए पीड़ित नहीं किया जा सकता है।

रण विजय सिंह और अन्य (सुप्रा.) के मामले में बाद के निर्णय में, इस विषय पर

कानून निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया था: -

> "30. अतः, इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:
> 30.1 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच को अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;
> 30.2 यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम किसी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (इसे प्रतिबंधित करने से अलग) तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा" और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में जब कोई भौतिक त्रुटि हुई हो;
> 30.3 न्यायालय को किसी भी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए-उसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना बेहतर है;
> 30.4 न्यायालय को मुख्य उत्तरों की यथार्थता का अनुमान लगाना चाहिए और उस अनुमान पर आगे बढ़ना चाहिए; और
> 30.5 संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को जाना चाहिए।

रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से त्रिपुरा उच्च न्यायालय (सुप्रा.) के मामले में नवीनतम निर्णयों में से एक में स्थापित विधिक स्थिति को दोहराते हुए और पुनः पुष्टि करते हुए कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है/ नहीं किया जाएगा या आदेश नहीं दिया जाएगा, असाधारण प्रकृति के मामले, जैसाकि पहले ***कुलपति और अन्य (सुप्रा.), मनीष उज्जवल और अन्य (सुप्रा.) और रण विजय सिंह और अन्य (सुप्रा.) के माध्यम से कानपुर विश्वविद्यालय*** के मामले में देखा गया था, पर विचार किया गया और ऐसे असाधारण मामलों से निपटने के लिए कार्रवाई की अनुमेय प्रक्रिया विकसित की गई, भले ही पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

> "19. हमने इस न्यायालय के निर्णयों पर गौर किया है। निस्संदेह, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी प्रावधान के अभाव में पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांगने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। निस्संदेह, कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय में उक्त आधार पर कार्यवाही की है। पहला प्रश्न जिसका हमें उत्तर देना होगा वह यह है कि

क्या किसी प्रावधान के अभाव के बावजूद, क्या न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पूरी तरह से शक्ति से वंचित हैं? यह सच है कि परमादेश की रिट मांगने का अधिकार विधिक अधिकार के अस्तित्व और सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्तर देने वाले के साथ संबंधित कर्तव्य पर आधारित है। इस प्रकार, अधिकार के रूप में, यह स्पष्ट है कि पहला प्रत्यर्थी पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाली रिट याचिका या समीक्षा याचिका को बरकरार नहीं रख सका।

20. हालांकि, प्रश्न यह उठता है कि भले ही अधिकार के रूप में पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, फिर भी क्या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो न्यायालय को किसी भी संदेह में छोड़ दें। कुछ परिस्थितियों में रिट आवेदक के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है। ऐसा मामला सामने आ सकता है जहां पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न होने के बावजूद यह पता चले कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उस मामले तक ही सीमित होना चाहिए जहां उत्तर की यथार्थता के बारे में कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, यदि कोई संदेह है, तो संदेह का समाधान उम्मीदवार के पक्ष में नहीं बल्कि परीक्षा निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्ति तब भी उपलब्ध रहेगी, भले ही उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान न हो, जहां एक उम्मीदवार ने सही उत्तर देने के बावजूद और जिसके बारे में थोड़ा सा भी संदेह नहीं किया जा सकता है, उसे गलत उत्तर दिया हुआ माना जाएगा और परिणामस्वरूप उम्मीदवार किसी भी अंक के पात्र नहीं पाया जाता है।

21. क्या दूसरी परिस्थिति को रिट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्या रिट न्यायालय अपने पास मौजूद शक्ति के विशाल भंडार के बावजूद असहाय हो सकता है? यह कहना एक बात है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रावधान की अनुपस्थिति उम्मीदवार को मूल्यांकन के अधिकार का दावा करने में सक्षम नहीं बनाएगी और दूसरी बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में जहां पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, वहां रिट कोर्ट प्रयोग नहीं करेगा। इसकी निस्संदेह संवैधानिक शक्तियाँ? हम दोहराते हैं कि स्थिति केवल दुर्लभ और असाधारण हो सकती है।

22. अतः हम पैराग्राफ 30.2 में दिए गए निष्कर्ष को समझेंगे जो हमने रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय से निकाला है। केवल उपरोक्त प्रकाश में. हम पहले ही देख चुके हैं कि एच.पी. लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, पूरे मामले के कानून के सर्वेक्षण के बाद पैराग्राफ 26 में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी कानून समझा है कि किसी भी प्रावधान के अभाव में न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।

23. यहां तक कि *रण विजय सिंह बनाम राहुल सिंह* में इस न्यायालय के निर्णय में, जो पहले प्रत्यर्थी के अनुसार उच्च न्यायालय के

हस्तक्षेप का आधार बनता है, हालांकि, स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है, न्यायालय ने जो निर्धारित किया है वह यह है कि न्यायालय पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दे सकता है अन्य बातों के अलावा, केवल तभी जब इसे तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया के बिना या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में भौतिक त्रुटि के कमीशन पर प्रदर्शित किया जाता है। XXXXXXXX

14. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्थापित विधिक स्थिति के रूप में उभरता है कि यद्यपि परीक्षा को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम/योजना के अभाव में पुनर्मूल्यांकन कानून में स्वीकार्य नहीं है, असाधारण मामलों में जहां मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं गलत है, अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे दूर करना होगा। जिन मामलों को न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया था, उनमें अपनाई गई कार्रवाई का तरीका यह था कि विवादित प्रश्नों के मुख्य उत्तरों के संबंध में शिकायतों की जांच विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जानी थी और यदि समिति की राय दर्शाती है कि मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं, तो उत्तर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों का सही उत्तरों के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

15. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा क्या किया गया है कि कृष्ण स्वरूप शर्मा की शिकायत प्राप्त होने पर कि कुछ मुख्य उत्तर स्वयं सही नहीं थे और/या अस्पष्ट और गलत थे, उत्तर कुंजी को फिर से तैयार किया गया है और संशोधित चयन सूची पर पहुंचने के लिए उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

16. हालाँकि, हमने पाया है कि विशेषज्ञों की समिति ने कुछ प्रश्नों की उत्तर कुंजी की जाँच करते समय अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है, हालाँकि कुछ प्रश्नों के संबंध में उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत पाई गई है। इस प्रयोजन के लिए, विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को निम्नानुसार पुनः तैयार करना प्रासंगिक होगा:-

प्रश्न न.	प्रश्न संख्या का उप भाग	पिछली उत्तर कुंजी में दिया गया उत्तर	समिति द्वारा तैयार किया गया उत्तर	समिति द्वारा तैयार कुंजी एवं उत्तर में दिये गये उत्तर पर तर्क सहित टिप्पणियाँ
1.	2	एन.एस. मीना	एन.एस. मीन/मीना या नरेन्द्र सिंह	चूंकि प्रश्न किसी व्यक्ति के नाम के बारे में है, अतः

			मीन/मीना	नरेंद्र कुमार मीना आदि अभ्यर्थियों के उत्तर गलत माने जाएंगे
	3	302 मिलिमीटर	203	पूछे गए प्रश्न से स्पष्ट है कि उत्तर मिमी में देना है लेकिन इंच आदि में दिया गया उत्तर गलत माना जाता है
	8	22.297 मिलिमीटर	22297	पूछे गए प्रश्न से यह स्पष्ट है कि उत्तर मिमी में दिया जाना है लेकिन मीटर आदि में दिया गया उत्तर गलत माना जाता है।
2	5	नहीं	हाँ	केमटेक मैनुअल के अध्याय I के पृष्ठ संख्या 3/41 के अनुसार बीजी कोच का चक्र समय 18 दिन है अतः उत्तर हाँ होगा
	6	नहीं	हाँ	एक वातानुकूलित डिब्बे में दो आपातकालीन खिड़कियां होती हैं। अतः हां को उत्तर माना जाता है।
3	1	उन्नत रखरखाव प्रौद्योगिकी केंद्र	वही	कोई टिप्पणी नहीं.
	2	संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति	वही	कोई टिप्पणी नहीं
				शब्दकोश और दैनिक व्यावहारिक ज्ञान में

				अभ्यर्थियों द्वारा अपने उत्तर में बनाई गई अभिव्यक्ति के अनुसार नए विकल्प जोड़े गए हैं
9	1	3532.5 लीटर	1767.85 लीटर	दोनों प्रश्न विवादित नहीं हैं क्योंकि वे वस्तुनिष्ठ प्रकार के नहीं थे
	2	1.874 घंटे अगर थकान भत्ता है 25%	वही	
		15.86 घंटे अगर थकान भत्ता 12.5% है	वही	

17. विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए अभ्यास की बारीकी से जांच से पता चलता है कि समिति द्वारा जो किया गया है वह ऊपर उल्लिखित निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के मद्देनजर कानून में केवल आंशिक रूप से स्वीकार्य है जबकि अन्य पद्यति का हिस्सा विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, जांच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि जहां तक प्रश्न संख्या 1 उप-भाग-2 का संबंध है, पिछली उत्तर कुंजी में अधिकारी का नाम एन.एस. बताया गया था। मीना" जबकि समिति द्वारा दोबारा तैयार किया गया उत्तर "एन.एस." है। मीन/मीना या नरेंद्र सिंह मीन/मीना। टिप्पणी कॉलम में दी गई टिप्पणियाँ यह हैं कि "नरेंद्र कुमार मीना" जैसे उत्तर को गलत माना जाएगा।

18. ओ.ए. द्वारा दिया गया उत्तर याचिकाकर्ता-अनिल शर्मा को गलत माना गया क्योंकि उन्होंने कुमार शब्द का इस्तेमाल किया है जिसके आगे नरेंद्र और बाद में मीना लगा है। यदि पुनः तैयार किए गए उत्तर विभिन्न विकल्पों की अनुमति देते हैं, तो कृष्ण स्वरूप शर्मा द्वारा दिए गए उत्तर को गलत मानकर अस्वीकार करना पूरी तरह से मनमाना प्रतीत होता है।

प्रश्न संख्या 1 उप-भाग-3, जैसाकि बताया गया है, दर्शाता है कि मूल उत्तर कुंजी स्पष्ट

रूप से गलत थी, जिसमें तर्क की कोई भी अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया शामिल नहीं थी।

प्रश्नों के उत्तर दोबारा तैयार किए गए। संख्या 1 उप-भाग 8 भी उसी श्रेणी में है।

हालाँकि, जहाँ तक प्रश्न संख्या 2 उप-भाग 5 का संबंध है, यह था, "एक ए.सी. कोच में", पीओएच 18 दिनों का है और प्रत्यर्थी (ओ.ए. याचिकाकर्ता) का उत्तर "नहीं" था। उत्तर कुंजी को फिर से तैयार करते समय, जो आवश्यक रूप से प्रश्न के संदर्भ में होना आवश्यक था, टिप्पणी कॉलम से पता चलता है कि प्रश्न को फिर से तैयार किया गया था और "पीओएच" के स्थान पर बीजी कोच के "चक्र समय" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अतः जो हुआ वह यह है कि पहले प्रश्न को दोबारा तैयार किया गया और फिर मुख्य उत्तर "हां" बताया गया।

जहाँ तक प्रश्न संख्या 2 उप-भाग 6 का संबंध है, प्रश्न था, "एक ए.सी. कोच में दो आपातकालीन खिड़कियां जुडी होती हैं", उत्तर दिया गया "नहीं"। उत्तर को प्रामाणिक और अनुमोदित प्रावधान/तकनीकी विनिर्देश के संदर्भ के बिना "हां" के रूप में फिर से तैयार किया गया है, जबकि याचिकाकर्तागण ने रेलवे बोर्ड के दिनांक 19.05.1998 के पत्र का हवाला दिया है। इसके अलावा, डिप्टी सीएमई/डिज़ाइन-I का एक और दस्तावेज़ दिनांक 11.12.2012 को ओ.ए. द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है। याचिकाकर्ता जो निम्नानुसार दर्ज करता है: -

"रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला

तारीख:11.12.2012

क्रमांक एमडी 11231

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी
संदर्भ: पत्र क्रमांक पीआईओ/आरटीआई/आरसीएफ/1678 दिनांक 10.12.2012

उपरोक्त संदर्भ में, यह कहा गया है कि आईसीएफ डिज़ाइन के सेल्फ जेनरेटिंग एसी3टी स्लीपर कोच, डब्ल्यूजीएसीसीएन का निर्माण आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित लेआउट संख्या के अनुसार किया गया है। सीएससी-1722। आरडीएसओ अनुमोदित इस लेआउट में 04 आपातकालीन खिड़की का प्रावधान दर्शाया गया है। उसी के अनुरूप कोचों का निर्माण किया जाता है।

संलग्नक: आरडीएसओ ने नहीं बताया। सीएससी-1722

उप सीएमई/डी-3
पीआईओ और सीनियर पीआरओ

(सूरज प्रकाश)

19. उपरोक्त दो सामग्रियां जिन्हें ओ.ए. द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया था, याचिकाकर्ता, किसी अन्य सामग्री के संदर्भ में याचिकाकर्ता (यहां "रेलवे") द्वारा विवादित नहीं किया जा सका और अतः, यह ज्ञात नहीं है कि प्रश्नों की उत्तर कुंजी किस आधार पर है। संख्या 2 उप-भाग 6 को "हां" के रूप में तैयार किया गया था।

20. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक प्रश्नों की उत्तर कुंजियों को पुनः तैयार करने का प्रश्न है, संख्या 2 उप-भाग 5 और उप-भाग 6 का संबंध है, इसे उत्तर कुंजी को सही करने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से गलत है और वह भी तर्क की किसी भी अनुमानित प्रक्रिया के बिना। अतः उस हद तक, परीक्षा प्राधिकारी (रेलवे) की कार्रवाई उन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है जो यहां ऊपर बताए गए हैं, केवल उत्तर कुंजी को फिर से तैयार करने की अनुमति देते हैं जब वे बिना किसी अनुमानित प्रक्रिया या तर्क के स्पष्ट रूप से गलत हों।

21. जहाँ तक प्रश्न है, काफी उत्सुकता से और अत्यधिक अनुचित तरीके से कार्य करना। क्रमांक 3 उप-भाग 10, प्रश्न. संख्या 5 उप-भाग 2, 6 और 8 का संबंध है, उन्हें नए विकल्प जोड़कर फिर से तैयार किया गया है जो प्रश्न-पत्र में कभी नहीं थे और जो प्रत्यर्थीगण सहित परीक्षा में उपस्थित होने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए विकल्प चुनने के लिए उपलब्ध नहीं थे। पहले प्रश्न को फिर से तैयार करने और फिर उत्तर कुंजी को बदलने की इस कवायद को न्यायाधिकरण ने अनुचित माना है। यह निश्चित रूप से उन उत्तर कुंजियों के संबंध में पाठ्यक्रम सुधार करने की श्रेणी में नहीं आता है जो तर्क की किसी भी अनुमानित प्रक्रिया के बिना या तर्कसंगतकरण की प्रक्रिया के बिना स्पष्ट रूप से गलत थे ताकि दुर्लभ या असाधारण मामलों के रूप में सामने आ सकें।

22. विद्वान न्यायाधिकरण ने बहुत ही उपयुक्त रूप से देखा है कि वैध उत्तरों के रूप में विकल्पों को जोड़कर इस तरह का संशोधन/पुनः निर्धारण, जहां मूल परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को ऐसे विकल्प स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए थे, तर्क और सिद्धांत दोनों के संदर्भ में पूरी तरह से अस्थिर है। निष्पक्ष खेल निष्पक्षता और समान अवसर की मूल अवधारणा के साथ-साथ संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता के विरुद्ध है।

23. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा दृढ़ विचार है कि उत्तर कुंजी को दोबारा

तैयार करने की प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा कानून के तहत स्वीकार्य नहीं था और यह दुर्लभ और असाधारण मामलों की श्रेणी में नहीं आता है जहां कुंजी उत्तर तर्क की किसी भी अनुमानित प्रक्रिया के बिना या युक्तिकरण की प्रक्रिया के बिना स्पष्ट रूप से गलत पाए जाते हैं। व्यक्तिपरकता का तत्व जो प्रस्तुत किया गया था और संदेह पैदा किया गया था, दो प्रश्नों के मुख्य उत्तरों को फिर से तैयार करने के अलावा प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई, अर्थात् प्रश्न। संख्या 1 उप-भाग 3 और प्रश्न। संख्या 1 उप-भाग 8 गैरकानूनी और कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य था।

24. याचिकाकर्ता-रेलवे की कार्रवाई को कानून के तहत कायम नहीं रखा जा सकने का एक और कारण शिकायतों के आधार पर मुख्य उत्तरों को फिर से तैयार करने की कवायद में देरी है।

बेशक, परीक्षा 29.10.2010 को आयोजित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ओ.ए. का चयन हुआ। याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 31.01.2012 के तहत उसे प्रशिक्षण के लिए भेजना और फिर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पोस्टिंग देना। एक वर्ष बाद दिनांक 28.01.2013 को याचिकाकर्ता ओ.ए. अनिल शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया यह रुख कि शिकायत किए गए मुख्य उत्तरों की जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि यह मानते हुए भी कि स्पष्ट रूप से गलत मुख्य उत्तरों को सही करने और पुनर्मूल्यांकन की एक सीमित प्रक्रिया कानून के तहत स्वीकार्य थी, इस तरह की प्रक्रिया को उचित समय के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है, न कि परीक्षा के कई वर्षों के बाद और निश्चित रूप से चयन के एक वर्ष बाद नहीं। प्रशिक्षण पूरा हो गया है और सफल उम्मीदवारों को पोस्टिंग आदेश दिया गया है। यह सभी के हित में है कि अंतिम रूप से परीक्षा के परिणाम जुड़े हुए हैं और शिकायतों के बाद शिकायतों के आधार पर इसमें छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजकर और फिर उन्हें पोस्ट करके चयन सूची लागू की जाती है। काफी समय बीत जाने के बाद चयन सूची में गड़बड़ी करना अत्यंत अनुचित एवं अन्यायपूर्ण होगा। यह एक अतिरिक्त कारण है कि याचिकाकर्ता-रेलवे द्वारा की गई कवायद में विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी।

25. इस स्तर पर, भले ही पद्यति के एक छोटे हिस्से को यहां ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा अनुमेय कहा जा सकता है, पद्यति का अधिकांश हिस्सा कार्रवाई के अनुमेय पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है। अतः, इस स्तर पर, हम अधिकारियों को एक बार फिर से उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन के तीसरे दौर की कवायद करने का निर्देश देने के बजाय मामले को बंद करने के इच्छुक हैं।

26. यहां ऊपर उल्लिखित कारणों से, हम न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं हैं।

27. परिणामस्वरूप, याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार, अपास्त कर दी जाती है।

(फरजंद अली), न्यायमूर्ति **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति**

Karan/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।